

294

402

न्यायालय - श्री मान् आयुक्त, रीवा सम्भाग-रीवा, झूम-प्र०

दस रुपये

17 JAN 2012

प्र०५० -



R-266-I/2012

01- रामकृष्ण तिंह तन्य द्व्य० श्री जगन्नाथ तिंह निवासी सा० तुर्की,
तहसील रामपुर बाधेलान, जिला सतना झूम-प्र० -- निगराकार.

बनासु

01- श्री मती मोलिया पत्नी श्री जगन्नाथ तिंह पटेल, निवासी सा० कोरिंगवार्ड, तहसील अमरपाटन, जिला सतना झूम-प्र०

02- हल्का पटवारी तुर्की, हल्का नं० 67, नया हल्का नं० 18, तहसील रामपुर बाधेलान, जिला सतना झूम-प्र० -- ऐर निगराकारगण.

टका छाँका किए

anchored by Shri...

Advocate-Applicant -

- टका छाँका

*Syndic
Commissioner's Office
Kewal Devdas Patel
Kewal M. H.*

मान्यकर,

निम्न संक्षिप्त तथ्यों स्वं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर
किय है :-

संक्षिप्त तथ्य

ग्राम तुर्की, तहसील रामपुर बाधेलान, जिला सतना झूम-प्र० त्वित भूमि
तर्फे क्रमांक 355 रकवा 10.74 एकड़, का वर्तमान में कथी चट्ठोक हो चुके
हैं। आठवां 355/1 क रकवा 1.78 एकड़, के भूमिस्वामी - ऐर सिगराकार
क्रमांक-1, आठवां 355/2 रकवा 0.90 एकड़, इन्द्रभान तिंह के वारिस -

क्रमांक-2,

रामचन्द्र पांडिय

11/10/2017 23-18
on 24-जून-2017
ला अप्रैल 2018
प्राप्ति
24-11-18

मुद्रक असोबे १२ ओ ५०१ के विधिवारी से

क - ब्रंगती एवं उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३५८ वर्ष
ख - लालता सीढ़े उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३५९ वर्ष
ग - रंगनाथ सीढ़े उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३६० वर्ष
घ - सुरेशा सीढ़े उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३६१ वर्ष
इ - दिनेशा सीढ़े उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३६२ वर्ष
च - अमिला सीढ़े उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३६३ वर्ष
ह - पूलन देवी उड्डी मोलिया व जगन्नाथ सीढ़े ३६४ वर्ष
सभा निवासी साठकीर्णवां तरसील ३५८ पारा जिता रहा (म०५०)

3.2.12

अधिकारी द्वारा
प्रियांका आदिता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-266-I / 12

जिला-सतना

रामकृपाल सिंह/मोलिया सिंह पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 297/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	


 (बी.एम.शर्मा),
 सदस्य